भारत सरकार
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
9 वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
http://www.prgi.gov.in/

दिनांक: 14.11.2025

2025 की परामर्शिका सं0- 45

विषय : वर्ष 2025 की परामर्शिका संख्या 36 में उल्लिखित प्रसार सत्यापन दिशा-निर्देशों के परिशिष्ट की वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रयोज्यता - संबंधी।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.09.2025 की वर्ष 2025 की परामर्शिका संख्या-36 के माध्यम से लागू किया गया उपबंध, जिसमें यह अनुबंधित है कि किसी एक प्रकाशन वर्ष में 350 दिनों से कम अवधि तक प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों का प्रसार सत्यापन (सीवी) नहीं किया जाएगा- केवल वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु उपर्युक्त उपबंध लागू नहीं होगा। सभी संबंधित प्रकाशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस स्पष्टीकरण का ध्यान रखें तथा तदनुसार अनुपालन करें।

यह प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित
रजित चन्द्रन एम आर
उप प्रेस महापंजीयक